सं0– /उन्तीस(2)06–2(80पे0)/2006

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग

देहरादून दिनांक 19 अक्टूबर, 2006

विषयः–राज्य सैक्टर ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग की तेला सिलगढ ग्राम समूह पेयजल योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1735/अप्रैजल–रूद्रप्रयाग/दिनांक 29.05.06 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद रूद्रप्रयाग की तेला सिलगढ़ ग्राम समूह पेयजल योजना अनु0 लागत रू0 1059.13 लाख के प्राक्कलन के टी0ए0सी0 वित्त के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई रू0 623.46 लाख (रू0 छः करोड़ तेइस लाख छियालीस हजार मात्र) धनराशि की लागत के आगंणन पर राज्य सैक्टर की ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः–

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरें, को जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

2– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग/ विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6–कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात स्थल

कमश..2

आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किये जाय।

7– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापित न किया जाय।

8– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

9– यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हों, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृति राशि से अधिक व्यय कदापि व्यय न किया जाय।

10– योजना को समयबद्ध पूर्ण कर लिया जाय ताकि आगणन पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पडे तथा लक्षित वर्ग को समय से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित भी हो सके।

11– योजना पर पड़ने वाली वन भूमि क्लियरेंस की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जायेगा उक्तानुसार कार्यवाही करके उसे सूचित करने के बाद ही व्यय की स्वीकृति दी जायेगी।

2– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0– 906/XXVII (2)/ 2006 दिनांक 16 अक्टूबर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या– 1224 /उन्तीस(2)/06–2/(80पे0)/2006,तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल,देहरादून।
2– मण्डलायुक्त, गढ़वाल।
3– जिलाधिकारी, देहरादून
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जलसंस्थान देहरादून।
6– मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल उत्तरांचल पेयजल निगम, पौड़ी।
7– वित्त अनुभाग–3/वित्त बजट सेल/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन/ राज्य योजना आयोग, उत्तरांचल।
8– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
9– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन
10– निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11– निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर,देहरादून।

आज्ञा से

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव